उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-05/2017/एस-2-226/दस-2017-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनाँक:: 01 फरवरी,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का स्थान	पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का पद/स्थान
1	2	3
1	श्री अजय कुमार सोनकर, मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।	मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
2	श्री सुदर्शन, वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर ।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर ।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नही होगा। प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा स्वत: परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

शिव गोपाल सिंह

अनु सचिव।

<u>संख्या-05/2017/एस-2-226(1)/दस-2015, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- जिलाधिकारी, रामपुर/गोरखपुर।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

5- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/मुरादाबाद।

6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/रामपुर।

7- संबंधित अधिकारीगण।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।